

बिहार सरकार  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग  
अधिसूचना

अ०सं०- वि०प्रा०(1)स्था०-04/2014 (पार्ट)-/ 3352 /पटना, दिनांक- 20/10/22

भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली, 2020 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ - (1) यह नियमावली बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 कही जा सकेगी।  
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।  
(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
2. बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली, 2020 के परिशिष्ट-1, तालिका-1 में सहायक प्राध्यापक (फार्मेसी), सह-प्राध्यापक (फार्मेसी) एवं प्राध्यापक (फार्मेसी) के पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए विहित अर्हता एवं अनुभव हेतु एक नया खंड परिशिष्ट-"क" के रूप में जोड़ा जाएगा।
3. बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली, 2020 के परिशिष्ट-1, तालिका-2 में सहायक प्राध्यापक (फार्मेसी) के पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए वेटेज स्कीम हेतु एक नया खंड "परिशिष्ट-"ख" के रूप में जोड़ा जाएगा।
4. बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली, 2020 के परिशिष्ट-1, तालिका-3 में सह-प्राध्यापक (फार्मेसी) एवं प्राध्यापक (फार्मेसी) के पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए वेटेज स्कीम हेतु एक नया खंड "परिशिष्ट-ग" के रूप में जोड़ा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


  
19.10.22

संयुक्त सचिव,

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- वि०प्रा०(1)स्था०-04/2014 (पार्ट)-/ 3352 /पटना, दिनांक- 20/10/22

प्रतिलिपि- महालेखाकर, बिहार, पटना/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7/प्रभारी पदाधिकारी ई-गजट वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अगले अंक में प्रकाशनार्थ/ महामहिम राज्यपाल के सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (मंत्रिपरिषद की दिनांक-13.10.22 को संपन्न बैठक में मद संख्या-06 के रूप में स्वीकृति के आलोक में।)/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सभी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/सभी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान/सभी प्राचार्य, राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान/सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, पटना/ विभाग के सभी पदाधिकारी/सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
19.10.22

संयुक्त सचिव,

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,  
बिहार, पटना।

**बिहार सरकार**  
**विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग**

**परिशिष्ट-“क”**

बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा में सीधी नियुक्ति के लिए विहित अर्हता एवं अनुभव :-

क्र०सं०	पद	न्यूनतम अर्हता	अनुभव
1.	सहायक प्राध्यापक	<p><b>फार्मसी</b></p> <p>प्रथम श्रेणी में बी. फार्म उपाधि के साथ भेषजी विशेषज्ञता की संगत शाखा में स्नातकोत्तर उपाधि (एम.फार्म) (योग्यता भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा मान्य होनी चाहिए)।</p> <p>भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा मान्य फार्म.डी उपाधि धारक भी फार्माकोलॉजी और भेषजी प्रैक्टिस विषयों के लिए सहायक प्राध्यापक के पद के लिए योग्य होंगे।</p>	
2.	सह-प्राध्यापक	<p><b>फार्मसी</b></p> <p>प्रथम श्रेणी में बी.फार्म उपाधि के साथ भेषजी विशेषज्ञता की संगत शाखा में स्नातकोत्तर उपाधि (एम.फार्म) (योग्यता भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा मान्य होनी चाहिए)</p> <p>भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा मान्य फार्म.डी की उपाधि धारक भी फार्माकोलॉजी और फार्मसी प्रैक्टिस विषयों में सह-प्राध्यापक के पद के लिए योग्य होंगे।</p> <p>प्राध्यापक के पद की पात्रता के लिए सह-प्राध्यापक को 7 वर्ष के अन्दर भेषजी के किसी भी विषय में भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा मान्य विद्यावाचस्पति की उपाधि प्राप्त करनी होगी।</p>	भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा अनुमोदित/ मान्यता प्राप्त भेषजी महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक या समतुल्य के रूप में 3 वर्ष का अध्यापन अथवा अनुसंधान का अनुभव।
3.	प्राध्यापक	<p><b>फार्मसी</b></p> <p>प्रथम श्रेणी में बी.फार्म उपाधि के साथ भेषजी में विशेषज्ञता की संगत शाखा में स्नातकोत्तर उपाधि (एम.फार्म) या फार्म.डी (योग्यता भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा मान्य होनी चाहिए) के साथ भेषजी के किसी भी विषय में विद्यावाचस्पति की उपाधि (विद्यावाचस्पति की उपाधि भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा मान्य होनी चाहिए)।</p>	<b>आवश्यक</b> भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा अनुमोदित/ मान्यता प्राप्त भेषजी महाविद्यालय में सह- प्राध्यापक के रूप में 5 वर्ष के साथ कुल 10 वर्ष का अध्यापन अथवा अनुसंधान कार्य का अनुभव।

  
19.10.22

संयुक्त सचिव,  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,  
बिहार, पटना

बिहार सरकार  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

परिशिष्ट-“ख”

बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा के सहायक प्राध्यापक (फार्मसी) पद पर सीधी नियुक्ति के लिए वेटेज स्कीम

संवर्गीय पद	कुल वेटेज-100			
	अकादमिक रिकार्ड अनुसंधान निष्पादन (वेटेज-20)	कार्यक्षेत्र ज्ञान तथा शिक्षण कौशल का लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) द्वारा मूल्यांकन (वेटेज-40)	साक्षात्कार निष्पादन (वेटेज-15)	संविदा पर नियोजित सहायक प्राध्यापक के लिए (वेटेज-25)
सहायक प्राध्यापक	(a) Maximum 10 (10 % of percentage Marks obtained in M.Pharm in relevant Branch/ Subject)  (b) Maximum 5 (5 % of percentage Marks obtained in B.Pharm.)  (c) Ph.D- 05 अंक	फार्मसी संकाय के लिए ग्रेजुएट फार्मसी एपटीट्युट टेस्ट (GPAT) संबंधित विषय का पाठ्यक्रम लागू होगा।		विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन संविदा पर नियोजित सहायक प्राध्यापक जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखते हैं, को 05 अंक प्रतिवर्ष।  (अधिकतम-25 अंक)

  
19.10.22

संयुक्त सचिव,  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,  
बिहार, पटना



बिहार सरकार  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

परिशिष्ट-“ग”

बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा के सह-प्राध्यापक / प्राध्यापक (फार्मसी) पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए वेटेज स्कीम

कुल वेटेज-100		
अकादमिक पृष्ठभूमि (वेटेज-20)	अकादमिक निष्पादन, अनुसंधान निष्पादन, कार्यक्षेत्र ज्ञान तथा शिक्षण कौशल का मूल्यांकन (वेटेज-60) (फार्मसी)	साक्षात्कार निष्पादन (वेटेज-20)
(a) Maximum 10 (10% of percentage Marks obtained in M.Pharm in relevant Branch/ Subject) (b) Maximum 5 (5% of percentage Marks obtained in B.Pharm.) (c) Ph.D- 05 अंक	(a) शोध प्रकाशन- (वेटेज-20 अधिकतम) (b) संगोष्ठी प्रस्तुतीकरण- (वेटेज-10 अधिकतम) (c) स्पोनसर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट / परियोजना- (वेटेज-10 अधिकतम) (d) अनुसंधान मार्गदर्शन एम.फार्म / फार्म.डी(केवल फार्माकोलॉजी एवं फार्मसी प्रैक्टिस विषयों के लिए)- (वेटेज-10 अधिकतम) (e) पीएच.डी गार्ड- (वेटेज-10 अधिकतम) नोट- <ul style="list-style-type: none"><li>संदर्भित जर्नलस-3 प्रति प्रकाशन</li><li>गैर-संदर्भित परंतु मान्य एवं जाने-माने जर्नलस तथा पिरीयोडिक, जिनके आई.एस. बी. एन./आई.एस.एस.एन. नम्बर हों-2 प्रति प्रकाशन</li><li>पूर्ण कागजातों आदि के रूप में संगोष्ठी/ सम्मेलन की कार्यवाहियों (सार सम्मिलित न किया जाए)-</li></ul>	अन्तराष्ट्रीय 5 प्रति प्रकाशन

- पाठक या संदर्भ पुस्तकें जिन्हें अंतराष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा जानी-मानी पीयर रिव्यू प्रणाली द्वारा प्रकाशित किया गया हो जिनके आई0एस0बी0एन0/आई0एस0एस0 नम्बर हो-

एक मात्र लेखक द्वारा 5 प्रति अध्याय  
सम्पादित पुस्तक में 1 प्रति अध्याय

- केन्द्र सरकार के प्रकाशनों तथा राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित विषयगत पुस्तकें, जिनकी आई.एस.बी.एन./आई.एस.एस.एन. संख्या हो-

एक मात्र लेखक द्वारा 2.5 प्रति अध्याय  
सम्पादित पुस्तक में 0.5 प्रति अध्याय

- आई.एस.बी.एन./आई.एस.एस.एन. संख्या वाली अन्य स्थानीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित विषयगत पुस्तकें-

एक मात्र लेखक द्वारा 1.5 प्रति अध्याय  
सम्पादित पुस्तक में 0.25 प्रति अध्याय

- ज्ञान आधारित खंडों में अध्यायों का संपादन योगदान (अंतराष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित जिनके आई0एस0बी0एन0/आई0एस0एस0एन0 नम्बर हो)- 2 प्रति अध्याय


- भारतीय/राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित ज्ञान आधारित खंडों में अध्याय (जिनके राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय डायरेक्टरी के नंबरों सहित आई.एस.बी.एन./आई.एस.एस.एन. नंबर हों)- 1 प्रति अध्याय

- 30.0 लाख रुपये से ऊपर के अनुदान से चलाई जाने वाली बड़ी परियोजनाए-1.5 प्रति परियोजना

- 5.0 लाख रुपये से 30.00 लाख रुपये तक के अनुदान से चलाई जाने वाली यही परियोजनाए- 1.0 प्रति परियोजना

- लघु परियोजनाए (50.000रुपये से 5 लाख रुपये तक के अनुदान से चलाई जाने वाली लघु परियोजनाए)-0.5 प्रति परियोजना

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• केन्द्र तथा राज्य स्तर के सरकारी निकायों के बृहद नीतिगत दस्तावेज पेटेंट/ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण/उत्पाद/प्रक्रिया- <ul style="list-style-type: none"> <li>5.0 प्रति अन्तराष्ट्रीय परिणाम या पेटेन्ट</li> <li>3.0 प्रति राष्ट्रीय परिणाम या पेटेन्ट</li> </ul> </li> <li>• अनुसंधान मार्गदर्शन- <ul style="list-style-type: none"> <li>केवल डिग्री (एम. फार्म) प्रदान की गई- 1.5 प्रति अभ्यर्थी</li> <li>केवल डिग्री (पीएच.डी) प्रदान की गई- 2.5 प्रति अभ्यर्थी</li> <li>शोध प्रबंध जमा किया गया- 1.5 प्रति अभ्यर्थी</li> </ul> </li> <li>• निम्नलिखित में अनुसंधान पत्रों (मौखिक/पोस्टर) की भागीदारी तथा प्रस्तुतीकरण <ul style="list-style-type: none"> <li>(क) अंतराष्ट्रीय सम्मेलन- 4.0 प्रति अनुसंधान पत्र।</li> <li>(ख) राष्ट्रीय- 2 प्रति अनुसंधान पत्र।</li> <li>(ग) क्षेत्रीय/राज्य स्तर-1 प्रति अनुसंधान पत्र।</li> <li>(घ) स्थानीय विश्वविद्यालय/कॉलेज स्तर- 0.5 प्रति अनुसंधान पत्र।</li> </ul> </li> </ul>	
--	--	--

  
 19.10.22

संयुक्त सचिव,  
 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,  
 बिहार, पटना




Govt. of Bihar  
Deptt. of Science & Technology  
Notification

**No. Vi Pra (i) Stha-04/2014 (Part)/ 3352 /Patna, dated...20/10/22.../**

In exercise of the powers conferred under Article-309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Engineering Education Service Rules, 2020 :-

1. Short title, extent and commencement.- (1) These Rules may be called The Bihar Engineering Education Service (Amendment) Rules, 2022.  
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.  
(3) It shall come into force from the date of publication in the official Gazette.
2. The new Appendix "A" shall be added in Appendix-1, Table-1, under heading 'Qualification/Experience' for the post of Assistant Professor/ Associate Professor/ Professor (Pharmacy) in the Bihar Engineering Education Service Rules, 2020.
3. The new Appendix "B" shall be added in Appendix-1, Table-2, under heading "weightage Scheme for Direct Appointment to the post of Assistant Professor" for the Post of Assistant Professor (Pharmacy) in the Bihar Engineering Education Service Rules, 2020.
4. The new Appendix "C" shall be added in Appendix-1, Table-3, under heading "weightage Scheme for Direct Appointment to the post of Associate Professor/ Professor" for the Post of Associate Professor/ Professor (Pharmacy) in the Bihar Engineering Education Service Rules, 2020.

By Order of the Governor of Bihar,

  
19.10.22

**Joint Secretary,**

Deptt. of Science & Technology,  
Bihar, Patna.

**Memo No :- Vi Pra (i) Stha-04/2014 (Part)/ 3352 /Patna, Dated- 20/10/22**

**Copy to :-** Accountant General, Bihar, Patna/Superintendent Govt. Press. Gulzarbagh, Bihar, Patna-7/Officer in charge, E-Gazette, Finance Department for information and publish in the forthcoming issue of the Gazette/ Principal Secretary, Hon'ble Governor, Bihar/Principal Secretary, Hon'ble Chief Minister, Bihar/O.S.D., Chief Secretary, Bihar/Principal Secretary/Secretary, General Administration Department/Finance Department/Cabinet Secretary/Secretary, Bihar Public Service Commission/All Principal, Govt. Engineering Colleges/Govt. Polytechnic Institutions/Govt. Women's Polytechnic Polytechnic Institutions/Secretary, State Board of Technical Education, Patna/Private Secretary of Hon'ble Departmental Minister/All Officer, Science & Technology Department/Private Secretary of Secretary Science & Technology Department for information and necessary action.

  
19.10.22

**Joint Secretary,**

Deptt. of Science & Technology,  
Bihar, Patna.

Govt. of Bihar  
Deptt. of Science & Technology

Appendix-"A"

**Prescribed Qualifications and Experiences for Direct Appointment in Bihar Engineering Education Service:**

Post	Qualification	Experience
Assistant Professor	<p><b><u>Pharmacy</u></b> First Class B.Pharm with Master's degree in Pharmacy (M.Pharm) in appropriate branch of specialization in Pharmacy (Qualification must be PCI recognized). A PCI recognized Pharm.D degree holder shall also be eligible for the posts of Assistant Professor in the subjects of pharmacology and pharmacy practice.</p>	
Associate Professor	<p><b><u>Pharmacy</u></b> First Class B.Pharm with Master's degree in Pharmacy (M.Pharm) in appropriate branch of specialization in Pharmacy (Qualification must be PCI recognized). A PCI recognized Pharm.D degree holder shall also be eligible for the posts of Associate Professor in the subjects of pharmacology and pharmacy practice. Associate Professor shall acquire PCI recognized Ph.D in any of Pharmacy subjects within 7 years to become eligible for the post of Professor.</p>	3 years experience in teaching or research at the level of Assistant Professor or equivalent in PCI approved/ recognized Pharmacy College.
Professor	<p><b><u>Pharmacy</u></b> First Class B.Pharm with Master's degree in Pharmacy (M.Pharm) in appropriate branch of specialization in Pharmacy or Pharm.D (Qualifications must be PCI recognized). With Ph.D degree in any of Pharmacy subjects (Ph.D. Qualifications must be PCI recognized).</p>	<p><b><u>Essential</u></b> 10 years experience in teaching in PCI approved/ recognized Pharmacy College or research experience out of which 5 years must be as Associate Professor in PCI approved/ recognized Pharmacy College.</p>

  
7/19.10.22

**Joint Secretary,**  
Dept. of Science & Technology,  
Bihar, Patna.



Govt. of Bihar  
Deptt. of Science & Technology

Appendix-"B"

**Weightage Scheme for Direct Appointment to the Post of Assistant Professor (Pharmacy) in Bihar Engineering Education Service.**

Cadre Post	Total Weightage - 100 marks			
	Academic Record and Research Performance (Weightage - 20 marks)	Evaluation of Domain Knowledge and Teaching Skill Through written examination (Objective) (Weightage-40 marks)	Interview (Weightage-15 marks)	For Assistant Professor engaged on Contract Basis (Weightage-25 marks)
Assistant Professor	(a) Maximum 10 (10 % of percentage Marks obtained in M.Pharm in relevant Branch/ Subject) (b) Maximum 5 (5 % of percentage Marks obtained in B.Pharm. (c) Ph.D- 05 अंक	For Pharmacy Stream The syllabus of Graduate Pharmacy Aptitude Test (GPAT) will be applicable		Weightage to candidates working on contract basis on the post of Assistant Professor under Department of Science & Technology and possessing minimum eligibility criteria @ 05 marks per year (maximum-25 marks)

  
19.10.22

**Joint Secretary,**  
Dept. of Science & Technology,  
Bihar, Patna.

**Govt. of Bihar**  
**Deptt. of Science & Technology**

**Appendix-"C"**

Weightage scheme for Direct Appointment to the Post of Associate Professor/Professor in Bihar Engineering Education Service:

Total weightage-100		
Academic Background (weightage-20)	Evaluation of Academic Performance, Research Performance, Domain knowledge and Teaching skill.  (weightage-60) (Pharmacy)	viva-voce (weightage-20)
<p>(a) Maximum 10 (10 % of percentage Marks obtained in M.Pharm in relevant Branch/ Subject)</p> <p>(b) Maximum 5 (5 % of percentage Marks obtained in B.Pharm.</p> <p>(c) Ph.D- 05 अंक</p>	<p>(a) Research publication- (weightage-20 maximum)</p> <p>(b) seminar presentation - (weightage-10 Maximum)</p> <p>(c) sponsored Research project/- (weightage-10 maximum)</p> <p>(d) Research Guidance -M.Pharm./Pharm.D (Only for Pharmacology and pharmacy practice.) (weightage-10 Maximum)</p> <p>(e) Ph.D guidance- (weightage-10 Maximum)</p> <p>Note-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Referred journals-3 each Publications.</li> <li>• Non-referred but recognized and reputable journals and periodicals with ISBN/ISSN Number 2/publication</li> <li>• seminar/conference proceedings as full papers etc. (Abstracts not to be included)- international- 5/Publication National- 2.5/publication.</li> <li>• Text Reference Books Published by international publishers having ISBN/ISSN Numbers with an established peer review system By sole author- 5/Chapter national- 1/Chapter</li> <li>• subject Books by National/States level publishers and Central Govt. Publications with ISBN/ISSN Numbers- By Sole author - 2.5/chapter In edited books-0.5/chapter subject Books by other local publisher with ISBN/ISSN Numbers - By sole author - 1.5/ Chapter In edited books -0.25/ Chapter</li> <li>• Chapters contribution to edited knowledge based volumes (Published by International Publisher) having ISBN/ISSN Number-2/ Chapter</li> </ul>	

- Chapters in knowledge based volumes Published by Indian/National level publishers with ISBN/ISSN Numbers and with numbers of National and International directories - 1/Chapter

### PROJECTS

- Major projects amount mobilized with grants above Rs. 30.0 Lakh  
Each Project -1.5 Weightage
- Major projects (amount mobilized with grants above Rs. 5 Lakh up to 30. Lakh)  
Each Project -1.0 Weightage
- Major Projects (amount mobilized with grants above Rs. 50,000 up to 5 Lakh) Each Project-0.5 Weightage
- Major policy document of Govt. Bodies at Central and State level Patent/Technology transfer/Product/Process  
5.0 for Each one of International level.  
3.0 for Each output/patent of National level.

### RESEARCH GUIDANCE

- Degree awarded only (M.Pharm.) 1.5/Each Candidate
- Degree (Ph.D.) awarded-2.5/Each Candidate
- Thesis submitted 1.5/Each Candidate
- Participation and Presentation of Research papers (Oral/Poster) as follows:
  - (a) International Conference  
4/Each Research Paper
  - (b) National  
2/Each research Paper
  - (c) Regional/State level  
1/Each Research Paper
  - (d) Local University/College level  
0.5/Each Research Paper

  
19.10.22

**Joint Secretary,**  
Dept. of Science & Technology,  
Bihar, Patna.